<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
आदित्य पाराशर
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर)
सू.अ.अपील संख्या 50/2024</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>24–09–24</td><td>अपीलार्थी आदित्य पाराशर निवासी गांव बुगाला, नवलगढ़, झुंझुंनु ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन 25/03/2024 में में वर्णित बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर जोधपुर</td><td></td></tr>
</table>